दिनांक: 08-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा डकैती के अभियोग मे फरार चल रहा पुरस्कार घोषित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 05.11.20 को वादी श्री सचिन शर्मा पुत्र श्री ओमपाल शर्मा निवासी ग्राम कलसिया थाना बेहट जिला सहारनपुर के लिखित प्रा0 पत्र बाबत अभियुक्त गण अज्ञात द्वारा घर मे घुसकर एक लाख 95 हजार रू0 व 07 तोला सोने चाँदी के जेवरात लूट कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 495/2020 धारा 342/394/120 बी भादवि पंजीकृत हुआ था।

उच्चाधिकारियों के निर्देशन मे उक्त अभियोग का सफल अनावरण करते हुए थाना बेहट पुलिस द्वारा पूर्व मे अभियुक्तगण- 1. शिवकुमार पुत्र मानसिंह नि0 इशोपुर थाना निगोही जिला शांहजहाँपुर, 2. श्रीमती भूरी पत्नी बबलू नि0 उपरोक्त 3. वीरसिंह उर्फ हीरालाल पुत्र जगदीश नि0 उपरोक्त 4. बृजपाल पुत्र लखपत नि0 उपरोक्त प्रकाश मे आये जिनमे से क्रम से 01 से 03 को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त गण से वादी की लूटी हुई वस्तु 01 चैन मय लोकिट, एक अंगूठी मर्दानी (पीली धातू) एक अंगूठी लेडीज (पीली धातू , व कानो के टांप्स एक जोडी व एक जोडी पाजेव व एक जोडी चुटकी बरामद की गयी मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त बृजपाल पुत्र लखपत तभी से लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतू श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा दिनाँक 15.12.22 को 5000/ रू0 का पुरूषकार घोषित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.11.23 को मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 495/2020 धारा 342/394/120बी/411 भादवि के वान्छित / पुरूषकार घोषित अभियुक्त **बृजपाल पुत्र लखपत निवासी ग्राम इशोपुर थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर** को थाना बेहट पुलिस द्वारा मोहाली पंजाब थाना क्षेत्र फेज 11 के मण्डी चौक से गिरफ्तार किया गया व गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त बृजपाल उपरोक्त ने ने बताया कि मै व मेरे साथी शहर शहर जाकर ठेली से फेरी लगाकर क्रोकरी बेचने का काम करते है। दिन मे हम लोग फेरी करते समय घूमकर रैकी करते है तथा ये पता लगाते है कि किस घर मे कम सदस्य रहते है। जिस घर मे कम सदस्य होते है उस घर मे हम रात्रि मे जाकर लूटपाट करते है तथा इसके बाद उस क्षेत्र से चले जाते है। जिस कारण कोई हमे पकड भी नही पाता है। बेहट थाना क्षेत्र के गांव कलसिया मे भी हम लोगो ने दिन मे फेरी लगाकर रैकी की थी उस घर मे केवल दो ही सदस्य पति और पत्नी थे जिनको हमने रात्रि मे जाकर एक कमरे मे अलग बाँध दिया था। उसके बाद घर मे लूटपाट करके भाग गये थे उस घर से हमे एक लाख 95 हजार रू0 व सोने चाँदी के जेवरात मिले थे। मेरे अन्य सभी साथी पकडे गये जिनसे लूटे हुए जेवरात भी बरामद कर लिये गये थे जिसकी मुझे जानकारी मिली। इसीलिए मै अपने गांव ज्यादा नही जाता हूँ। बाहर रहकर ही शहर - शहर जाकर क्रोकरी बेचने का काम करने लगा।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

बृजपाल पुत्र लखपत निवासी ग्राम इशोपुर थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3.है0का0 521 सुनील राणा थाना बेहट जिला सहारनपुर
4. है0का0 586 राजीव पंवार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 1325 प्रदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. का0 1594 मोहित धामा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त बृजपाल पुत्र लखपतः-</u>

1. मु0अ0सं0 870/19 धारा 380/411/457 भादवि ------ थाना कटघर जिला मुरादाबाद
2. मु0अ0सं0 - 35/20 धारा 395/397/412/120बी भादवि ------ थाना कटघर जिला मुरादाबाद
3. मु0अ0सं0 - 49/20 धारा 380/411/457 भादवि ------ थाना कटघर जिला मुरादाबाद
4. मु0अ0सं0 83/20 धारा 398/401 भादवि ------ थाना कटघर जिला मुरादाबाद

दिनांक 08.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 357 पैटी अवैध शराब अंग्रेजी गैर प्रान्त चण्डीगढ मार्का व 246 कार्टून प्लास्टिक स्क्रैप एवं एक ट्रक बरामद।

- **357 पैटी अवैध शराब इम्पीरियल ब्लू अंग्रेजी मार्का**
- **246 कार्टून प्लास्टिक स्क्रैप**
- **एक ट्रक रजि0 न0 UK 08 CA 3009**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम व अवैध शराब का कारोबार करने वाले अभियुक्तो के विरूद्ध लगतार प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे **अवैध शराब** के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे श्री रमेशचन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 07/08.11.2023 की देर रात्रि को अभियुक्त **गुलशेर पुत्र महबूब नि. ग्राम सुलतानपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** को छिंदवाना मोड, दिल्ली रोड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 357 पैटी अवैध शराब, 246 कार्टन प्लास्टिक स्क्रैप व घटना में प्रयुक्त शराब पेटियों से भरा एक ट्रक बरामद हुआ है। अभियुक्त का अन्य साथी ऱात्रि व जंगल का फायदा उठाकर फरार होने मे सफल रहा। गिरफ्तारी व बरामदगी के संम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 483/23 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 420/120 बी भादवि बनाम गुलशेर उपरोक्त सहित कुल 06 अभियुक्तो के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को मान0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त गुलशेर उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यह ट्रक नं0- UK 08CA 3009 नूसरत अली पुत्र करामत अली निवासी म.न. 18 गंग नहर रूड़की हरिद्वार के नाम है जिसे विक्रम नि0 रोहतक हरियाणा ने खरीद लिया है। यह शराब की पेटिया व प्लास्टिक का सामान विक्रम का ही हैं। जिसे विक्रम नें डिस्टेलरी के मालिक ग्राम हरिपुर हिन्दुआ डेरा बस्सी जिला मोहाली पंजाब से मिलकर मुझसे व मुर्सलीन से इस ट्रक में इस शराब को सरहन्द पंजाब से बिहार के लिये लदवाया था तथा पुलिस व पब्लिक को धोखा देने की नियत से ट्रक में नीचे शराब की पेटियो को भरकर ऊपर से प्लाटिक स्क्रेप के कार्टून रखे थे जिससे पुलिस को हम पर शक न हो। मैं व ड्राइवर मुर्सलीन ट्रक को सरहन्द से दिनाक 04.11.2023 की शाम को लेकर बिहार के लिए निकले थे तथा पाँच तारिख को ट्रक लेकर सहारनपुर से निकल रहे थे तो चुन्हेटी फाटक के पास हाइवे पर सैल टैक्स के अधिकारीयों ने हमे इस ट्रक के साथ पकड़कर सैल टैक्स आफिस ले आये थे तो मैने अपने रिस्तेदार सोनू पुत्र कय्युम निवासी 62 फुटा रोड़ थाना मण्डी सहारनपुर को ट्रक के पकड़े जाने की सूचना दी थी और छुड़ाने में मदद करने के लिये कहा था तो सोनू नें शहनवाज से मिलाया था और हमने ट्रक में शराब होने की बात शहनवाज को बताई थी। इस पर शहनवाज ने अपने आप को पत्रकार बताया था और

शहनवाज ने जीएसटी विभाग के अधिकारीयों से बात करके लगभग 15 लाख रुपये मे बात की थी। मालिक विक्रम नें कुल 12,45,000/- रुपये भिजवाये जो हमने शहनवाज पत्रकार को दिये थे। शहनवाज ने 12,45,000/- रुपये प्राप्त कर जीएसटी अधिकारीयों से बात कर आज हमारा ट्रक जीएसटी विभाग से छुड़वाया था तथा जीएसटी के अधिकारीयों ने कुछ जीएसटी बिल के कागजात हमें दिये थे। फिर हम इस ट्रक को लेकर बिहार जा ही रहे थे कि पुलिस ने हमे पकड़ लिया। अभियुक्तगण ने बताया कि हम इस शराब को पंजाब से सस्ते दामों पर खरीदकर बिहार जहाँ पर शराब प्रतिबन्धित हैं, लेकर जाकर महंगे दामों पर बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>
गुलशेर पुत्र महबूब नि. ग्राम सुलतानपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- IMPERIAL BLUE मार्का की 167 पैटिया व प्रत्येक पैटी में 12 बोतल जिनमें कुल 2004 बोतल (प्रत्येक 750 ML)
- IMPERIAL BLUE मार्का (प्रत्येक 180 ML) की 190 पैटिया व प्रत्येक पैटी में 48 पव्वे जिनमें कुल 9120 पव्वे बरामद
- 246 कार्टून प्लास्टिक स्क्रैप
- एक ट्रक रजि0 नम्बर UK 08 CA 3009

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>
गुलशेर पुत्र महबूब नि. ग्राम सुलतानपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड-- निल

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम के नामः-</u>
1.उ0नि0श्री देवेन्द्र सिंह अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उ0नि0 धीरज सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. है0का0 680 भूपेन्द्र थाना सदर बाजार सहारनपुर
4.है0का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. का0 215 सुमित थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. का0 1808 आशीष थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. का0 2012 आवेश थाना सदर बाजार सहारनपुर

दिनांक 08.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरों पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त को 10 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब सहित किया गया गिरफ्तार

सादर अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण, वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु व जिलाबदर अपराधियों की चैकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरों के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरो पुलिस टीम द्वारा जिला बदर **अभियुक्त किरणपाल उर्फ मोगली पुत्र ब्रह्मपाल नि0 ग्राम रादौर थाना तीतरों जनपद सहारनपुर** को 10 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब सहित कारण गिरफ्तारी बताते हुए जंगल ग्राम रादौर ट्यूबवैल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 150/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 272,273 भादवि व 10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता

किरणपाल उर्फ मोगली पुत्र ब्रह्मपाल नि. ग्राम रादौर ,थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 174/21 धारा 60(2) अधिनियम व 272,273 भादवि
2. मु0अ0स0 03/2022 धारा 60(2) अधिनियम व 272,273 भादवि

बरामदगी का विवरण

10 लीटर कच्ची शराब अपमिश्रित

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना तीतरो, सहारनपुर
2. है0का0 1058 राहुल राणा थाना तीतरो, सहारपनुर
3. का0 2538 चन्द्रशेखर थाना तीतरो, सहारपनुर

दिनांक 08.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन के अन्तर्गत वाहन लावारिश/अनट्रेस्ड/लादावा की नीलामी कर कराया गया निस्तारण, कुल 2124000 रूपये (GST सहित) का राजस्व प्राप्त ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सहारनपुर, तहसीलदार सदर सहारनपुर व प्रभारी निरीक्षक तथा व0उ0नि थाना सदर बाजार की मौजूदगी में उपजिलाधिकरी सदर सहारनपुर के माल निस्तारण सम्बन्धी आदेश दिनांकित 02/11/23 के अनुपालन में थाना सदर बाजार परिसर में मौजूद 2019 से वर्ष 2023 तक के वाहन लावारिश/ अनट्रेस्ड/लादावा 171 दो पहिया, 11 चार पहिया, 2 तीन पहिया जिनकी मूल्यांकन राशि 565900 रूपये / निर्धारित की गयी थी की नीलामी करायी गयी तथा सर्वजीत सिंह पुत्र हरजीत सिंह नि. 907/179 गोविन्दनगर रामलीला ग्राउण्ड के सामने थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा नीलामी की अधिकतम बोली 2124000 रूपये (GST सहित) लगायी गयी.|

नीलामी कराये गये वाहन लावारिश/अनट्रेस्ड/लादावा कुल 184 वाहनों की मूल्याकंन धनराशि एवं नीलामी की धनराशि:-

- वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक के वाहन लावारिश/ अनट्रेस्ड/लादावा 171 दोपहिया तथा 11 चार पहिया तथा 2 तीन पहिया कुल 184 माल
- मूल्यांकन धनराशि- 565900 रूपये
- नीलामी धनराशि - 1800000+ 324000 रूपये (GST)= 2124000 रूपये (GST सहित)
- नीलामी में शामिल कुल व्यक्ति का नाम- सर्वजीत सिंह पुत्र हरजीत सिंह नि. 907/179 गोविन्दनगर रामलीला ग्राउण्ड के सामने थाना सदर बाजार सहारनपुर

नीलामी के दौरान मौजूद अधिकारीगण:-

1.श्री रामकरन क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय जनपद सहारनपुर
2.श्री अमित कुमार तहसीलदार ,सदर जनपद सहारनपुर
3.श्री रोहित सिंह आरआई आरटीओ ,जनपद सहारनपुर
4.श्री रमेशचन्द्र सिंह प्रभारीनिरीक्षक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5.श्री प्रदीम चीमा व0उ0नि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6.श्री अनूप सिंह एचएम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

दिनांकः 08-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की धरपकड/गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.11.2023 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त नीरज जैन पुत्र दामोदर दास जैन निवासी जैन मन्दिर के सामने जैन बाग थाना मण्डी सहारनपुर** को नियत दिनांक- 29.11.2023 परिवाद सं0 3685/16 धारा 138 एनआई एक्ट थाना सदर बाजार, सहारनपुर सम्बन्धित मा0 न्यायालय अतिरिक्त, सहानरपुर को कारण गिरफ्तारी बताते हुए थाना क्षेत्र मण्डी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नीरज जैन पुत्र दामोदर दास जैन निवासी जैन मन्दिर के सामने जैन बाग थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1061 सुनील कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 294 मौ0 राशिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक- 08.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 27 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम तथा शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान आज दिनांक 08.11.2023 को **अभियुक्त नितिन कुमार उर्फ कन्हैया पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम मंधौर थाना सरसावा सहारनपुर** को 27 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का व मोटरसाइकिल स्पलेण्डर जिसका रजि0 नं0 HR 02 Q 1824 सहित कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 321/2023 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त नितिन उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हरियाणा राज्य मे शराब सस्ती है। मैं हरियाणा से सस्ती शराब लाकर अपने गाँव मे आस पास के लोगों को ज्यादा पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छे रूपये मिल जाते है ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तः-

नितिन कुमार उर्फ कन्हैया पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम मंधौर थाना सरसावा सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

27 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर (जिसका रजि0 नं0 HR 02 Q 1824)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक श्री पंकज सिंह चौहान (आबकारी सहारनपुर क्षेत्र 2)
2. उ0नि0 श्री विकास सिंघल, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 962 अमित मलिक थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 2504 रवि कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 मयंक सिंह (आबकारी सहारनपुर क्षेत्र 2)
6. का0 आर्य (आबकारी सहारनपुर क्षेत्र 2)

दिनांक- 08.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा मात्र 01 घण्टे मे चोरी गई मोटरसाईकिल बरामद, वाहन चोर गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 8.11.23 को आकाश कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी कुराली थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर द्वारा थाने पर लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 7.11.2023 को मै कस्बा रामपुर मनिहारन मे अशोका वैकंट हालमे अपने दोस्त के साथ दावत मे आया हुआ था। मैने अपनी मो0सा0 एचआर0 54 9674 को खडी कर दावत मे चला गया वापस आया तो मेरी मो0सा0 नही मिली जो अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी है। सूचना पर तुरन्त मु0अ0स0 353/23 धारा 379 भा0द0वि0- बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उप0निरी0 अरविन्द कुमार के सपूर्द की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियाना के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम उमरीखुर्द मे शराब के ठेके से अभियुक्त **पंरचम तिरंगा पुत्र तेजपाल निवासी उमरी कला थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर** को चोरी की मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलैण्डर प्लस न0 HR-54-9674 के साथ गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही हेतू मा0 न्यायालय मे भेजा जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त परचंम तिरंगा उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 07.11.2023 अपने 02 अन्य साथियों के साथ कस्बा रामपुर मनिहारन मे आया हुआ था। हम तीनो की शराब पीने की इच्छा थी लेकिन पैसे नही थी हम तीनो ने योजना के अनुसार लोगो की नजरो से बचकर कस्बा रामपुर मनिहारन से मो0सा0 न0 HR-54-9674 चोरी कर ली थी जिसे हम तीनो मिलकर बेचकर मिलने वाले रूपयो से शराब पीने वाले थे। मो0सा0 को बैचने जा ही रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया और मेरे दोनो साथी मौके से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पताः-

पंरचम तिरंगा पुत्र तेजपाल निवासी उमरी कला थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

आराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 353/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

उप0निरी0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
का0 2181 ऋषि कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
का0 1410अजीत नैन थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

प्रेस विज्ञप्तिः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय जिला जज सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख 24 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 20.05.2020 को वादी श्री सददाम पुत्र इस्लाम निवासी नवाजपुर थाना नकुड सहारनपुर द्वारा सुचना दी कि अभियुक्तगण 1.अफसर पुत्र लियाकत, 2. नदीम पुत्र लियाकत, 3.सराफत पुत्र जंगा, 4.वासिल पुत्र जंगा समस्त निवासीगण नवाजपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के घर में घुसकर लाठी–डन्डो, सरिया, तलवार से हमला करना, गाली गलोच कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना तथा लोक डाऊन का उल्लधन करने की सूचना पर मु0अ0स0 216/2020 धारा 452,323,504,506,188,269,307,270,302,34 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1074/2020 पर माननीय न्यायालय जिला जज सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते जिला जज सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 08.11.2023 को अभियुक्तगण 1.अफसर पुत्र लियाकत, 2.नदीम पुत्र लियाकत, 3.सराफत पुत्र जंगा, 4.वासिल पुत्र जंगा को मु0अ0स0 216/2020 धारा 452,304 भाग 2, 323/34 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 31 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा **धारा 302,307,188,269,270,504 भादवि में सभी अभियुक्तो को दोषमुक्त किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (डी0जी0सी0) श्री राजीव गुप्ता मो0न0– 7017067109
विवेचक निरीक्षक श्री सुशील सैनी तैनाती थाना प्रभारी नहटोर जनपद बिजनौर मो0न0 7500000793
पैरोकार है0का0 276 मैनीपालसिह थाना नकुड मो0न0 7906765485 जनपद सहारनपुर